भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 207

दिनांक 02.02.2021/13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

असम समझौते का कार्यान्वयन

207. श्री अब्दुल खालेकः

श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) असम समझौते के खंड 6 और 7 का ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्यान्वयन हेतु उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन में देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने खंड 6 के कार्यान्वयन हेतु कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा आयोजित की गयी बैठकों की संख्या और बैठकों का कार्यवाही सारांश क्या है;

(घ) क्या इस समिति ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ड.) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(च) क्या यह सत्य है कि समिति ने असम के मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जैसा कि मीडिया में दिखाया गया है और यदि हां, तो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के क्या कारण हैं जबकि समिति को गृह मंत्रालय द्वारा गठित किया गया था?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (च): असम समझौते के खंड 6 के अनुसार "असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान तथा विरासत के संरक्षण, परिरक्षण और संवर्धन के लिए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक रक्षोपाय, जो भी उपयुक्त हो, उपलब्ध कराए जाएंगे" और खंड 7 में व्यवस्था है कि "सरकार, असम के सर्वांगीण आर्थिक विकास में तेजी लाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाए, ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना करके शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर विशेष बल दिया जाएगा"। जैसाकि असम राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, विभिन्न विभागों द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं.207

असम समझौते के खंड 6 के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 1985 से उठाए गए कदमों की प्रभावकारिता और अब उठाए जाने वाले अपेक्षित कदमों की जांच करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। जैसाकि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है, समिति ने 36 बैठकें की थीं। समिति ने अपनी रिपोर्ट असम राज्य सरकार को सौंप दी है। सिफारिशें राज्य सरकार की जांच के अधीन हैं।

*****

खण्ड 6 और खण्ड 7 को कार्यान्वित करने के लिए की गई कार्रवाई में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. असम के लोगों की संस्कृति के परिरक्षण, संवर्धन और उत्थान हेतु कार्य करने के लिए श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र की स्थापना।
2. ज्योति चित्रबेन फिल्म स्टूडियो सोसाइटी के आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन की स्कीम।
3. असम के 359 सत्रों को वित्तीय सहायता।
4. 14 ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता।
5. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 5 स्मारकों नामत: (i) सिंगरी मंदिर के खंडहर, (ii) उर्वशी पुरातात्विक स्थल, (iii) पोआ-मक्का, हाजो, (iv) केदार मंदिर, हाजो तथा (v) हयग्रीव माधव मंदिर, हाजो के संरक्षण, परिक्षण और विकास का कार्य शुरू किया है।
6. वर्ष 1989 में असम सरकार की वित्तीय सहायता से आनंदराम बरूआ इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर असम (एबीआईएलएसी) नामक एक स्वायत्त संस्थान की स्थापना। इसके अलावा, उच्चतर शिक्षा निदेशालय, असम सरकार स्वैच्छिक संगठनों को अपने संबंधित क्षेत्र में भाषा, कला और संस्कृति के उत्थान के लिए वार्षिक अनुदान प्रदान कर रहा है।
7. राज्य सरकार ने बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) और छ: स्वायत्त परिषदों नामत: (i) देवरी स्वायत्त परिषद, (ii) तीवा स्वायत्त परिषद, (iii) मिसिंग स्वायत्त परिषद, (iv) राभा हसोंग स्वायत्त परिषद, (v) थेंगल कछारी स्वायत्त परिषद तथा (vi) सोनोवाल कछारी स्वायत्त परिषद का गठन पहले ही कर दिया है। राज्य सरकार ने इकतीस विकास परिषदों का भी गठन किया है।
8. बोगीबील रेल-सह-सड़क मेगा परियोजना और न्यूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड।
9. शीलघाट जूट मिल को 1 जनवरी, 1986 से दुबारा खोल दिया गया है।
10. लेपटकाटा, डिब्रूगढ़ में असम गैस क्रैकर परियोजना - (बीसीपीएल)।
11. दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों नामत: तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर और सिलचर में असम विश्वविद्यालय के साथ-साथ नॉर्थ गुवाहाटी में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आईआईटी) की स्थापना। राज्य सरकार ने चार राज्य विश्वविद्यालयों नामत: (1) के. के. हांडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, (2) बोडोलैंड विश्वविद्यालय, (3) कॉटन कॉलेज राज्य विश्वविद्यालय और (4) कुमार भास्कर वर्मा संस्कृत और प्राचीन अध्ययन विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है।
12. गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का सुपर स्पेशिएलटी अस्पताल के रूप में उन्नयन का कार्य प्रगति पर है।

*****